

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77] No. 77] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 7, 2019/पौष 17, 1940

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 7, 2019/PAUSHA 17, 1940

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) -

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2019

का.आ. 82(ब).—तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, दिनांक 2 नवम्बर, 2018 की अधिसूचना सं. का.आ. 5649(अ) में आंशिक संशोधन करते हुए, उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु संयुक्त सचिव (ईपी-एमपी), वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के स्थान पर अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि को तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 33036/6/2008-मा.(टी-2)]

डॉ. जे. बालाजी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2019

S.O. 82(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby appoints Chairman, The Marine Products Export Development Authority, Kochi as Member of the Coastal Aquaculture Authority in place of Joint Secretary (EP-MP), Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, New Delhi for the purpose of the said Act in partial modification to the Notification No. S.O. 5649(E), dated the 2nd November, 2018.

[F. No. 33036/6/2008-Fy (T-2)]

Dr. J. BALAJI, Jt. Secy.

115 GI/2019